

R-475/CE  
05/03/19  
सचिव काभाग  
बायरी नं०... 352... दिनांक... 01/03/19  
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची

पत्रांक- 14/जा०नि०- 03-13/2015 /का०, 1754

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

परीक्षा नियंत्रक

By: Controller प्रेषक,  
05/03/19 सेवा में,

यशवीर सिंह  
05/03/19

के०के० खण्डेलवाल,  
अपर मुख्य सचिव।

सभी अपर मुख्य सचिव,  
सभी प्रधान सचिव/सचिव  
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।  
सभी उपायुक्त  
सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।  
सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची।  
परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग  
पत्र प्राप्त  
1 MAR 2019

दिनांक- 25/02/2019

विषय :- जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु झारखण्ड सरकार/भारत सरकार द्वारा इससे संबंधित मार्ग-दर्शन को परिचारित करते हुए उसमें अंतर्निहित प्रक्रिया एवं शर्तों का अनुपालन करने हेतु समय-समय पर अनुदेश दिया जाता रहा है। साथ ही इन प्रमाण-पत्रों को निर्गत करने हेतु प्रमाण-पत्र का प्रपत्र भी परिचारित किया जाता रहा है।

वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र के संबंध में विभिन्न स्रोतों से विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों के संबंध में विभाग को अवगत कराया गया है जिनके निराकरण के मामले सरकार के समक्ष विचाराधीन थे। जाति प्रमाण पत्र से संबंधित कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत अनुदेश दिये जाते हैं :-

1. सरकारी सेवाओं में नियोजन एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र पूर्ण रूप से मान्य होंगे।
2. राज्य सरकार से इतर प्राधिकारों/अन्य संस्थानों में नियुक्ति अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए यदि अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की माँग की जाती है तो ऐसे मामलों में अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर उच्चाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
3. वांछित प्रमाण-पत्र हेतु आवेदक/आवेदिका द्वारा विहित प्रपत्र में पूर्णरूपेण भरे गये आवेदन, सुसंगत स्व-घोषणा पत्र अर्थात् आवेदक/आवेदिका द्वारा दिये जाने वाले घोषणा पत्र सहित ऑनलाईन जमा किये जायेंगे।

378/EC  
05/03/19

AC  
Dey  
05/03/19

4. अंचल अधिकारी के द्वारा झारसेवा सॉफ्टवेयर पर डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से प्रमाण पत्र संबंधी कार्यों का निष्पादन किया जायेगा। झारसेवा पोर्टल पर अंचल कार्यालय के सम्बन्धित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक अपने लॉगिन आई.डी. का प्रयोग करते हुए जाति प्रमाण पत्र सम्बन्धी आवेदन में दावे की सम्यक् जाँच कर लेंगे तथा नियमानुसार प्रस्ताव अंचल अधिकारी को ऑनलाईन समर्पित करेंगे।
5. झारखण्ड राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) तथा केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के निमित्त आवेदन हेतु निम्नलिखित अर्हता पूरी करना अनिवार्य है -
- (क) आवेदक भारत का नागरिक हो।
- (ख) वह या उसके पूर्वज झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में क्रमशः दिनांक-10.08.1950 एवं दिनांक-06.09.1950 तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के मामले में दिनांक-10.11.1978 तथा केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में दिनांक-08.09.1993 के पूर्व से स्थायी रूप से आवासित हो।
- (ग) वह साधारणतः आवेदन में दर्ज पते पर निवास करता हो।
- (घ) वह आवेदित जाति का सदस्य हो।
- (ङ) आवेदक का कोई पहचान पत्र हो।
- (च) स्व-घोषणा पत्र
6. उपर्युक्त कंडिका-5 (क) से (ङ) तक की अर्हता पूरी करने संबंधी निम्नांकित दस्तावेजों को समर्पित करना अनिवार्य होगा -
- (क) नागरिक होने के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को संलग्न करना अनिवार्य होगा : -
- स्वयं का मतदाता पहचान पत्र
  - आवेदक के अवयस्क रहने की स्थिति में आवेदक के माता अथवा पिता का मतदाता पहचान पत्र।
  - सत्यापित मतदाता सूची, जिसमें स्वयं अथवा माता/पिता (आवेदक के अवयस्क रहने पर) का नाम अंकित हो।
  - स्वयं का पैन कार्ड।
  - आवेदक के अवयस्क रहने पर माता अथवा पिता का पैन कार्ड।
  - आवेदक का पंजीयक/निबंधक द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र।
  - कोई भी सरकारी दस्तावेज जो निर्विवाद रूप से आवेदक के भारत की नागरिकता को स्पष्ट करता हो।
- (ख) जाति प्रमाण पत्र के निमित्त स्थायी रूप से निवासित होने के प्रमाण के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को संलग्न करना अनिवार्य होगा:-

- i. रेकॉर्ड ऑफ राईट्स (रिविजनल अथवा म्युनिसिपल), जिससे आवेदक अथवा उसके पूर्वज के झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में दिनांक-10.08.1950 (अनुसूचित जाति के मामले में), दिनांक-06.09.1950 (अनुसूचित जनजाति के मामले में), दिनांक -10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के मामले में) तथा दिनांक-08.09.1993 (केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में) से स्थायी रूप से निवासित होना निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता हो।
  - ii. भू-निबंधन कागजात, जिससे आवेदक अथवा उसके पूर्वज के झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में दिनांक-10.08.1950 (अनुसूचित जाति के मामले में), दिनांक-06.09.1950 (अनुसूचित जनजाति के मामले में) दिनांक-10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के मामले में) तथा दिनांक-08.09.1993 (केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में) से स्थायी रूप से निवासित होना निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता हो।
  - iii. अनुसूचित जाति के मामले में दिनांक-10.08.1950, अनुसूचित जनजाति के मामले में दिनांक-06.09.1950 एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के मामले में दिनांक-10.11.1978 तथा केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में दिनांक-08.09.1993 से आवासित होने की निर्विवाद रूप से पुष्टि करने संबंधी प्रमाणित मतदाता सूची।
  - iv. अनुसूचित जाति के मामले में दिनांक-10.08.1950, अनुसूचित जनजाति के मामले में दिनांक-06.09.1950 एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के मामले में दिनांक-10.11.1978 तथा केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में दिनांक-08.09.1993 से आवासित होने का निर्विवाद रूप से पुष्टि करने संबंधी कोई सरकारी दस्तावेज।
- (ग) साधारणतः निवास (साधारणतः निवास करने का तात्पर्य वही है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-20 के तहत परिभाषित है) करने संबंधी पता के संबंध में आवेदक को स्वघोषणा-पत्र एवं निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को संलग्न करना अनिवार्य होगा :-
- i. स्वयं का अद्यतन एवं वैध मतदाता पहचान पत्र।
  - ii. आवेदक के अवयस्क होने पर माता अथवा पिता का अद्यतन एवं वैध मतदाता पहचान पत्र।
  - iii. अद्यतन विद्युत विपत्र।
  - iv. अद्यतन दूरभाष विपत्र।
  - v. अद्यतन जलकर विपत्र।
  - vi. राशन कार्ड।
  - vii. पासपोर्ट।
  - viii. ड्राईविंग लाईसेंस।
  - ix. आयकर निर्धारण आदेश।
  - x. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।
  - xi. कोई भी सरकारी दस्तावेज जो आवेदक के साधारण तौर पर निवास करने को निर्विवाद रूप से प्रमाणित करता हो।

(घ) जाति प्रमाण पत्र हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को संलग्न करना अनिवार्य होगा :-

- i. रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (रिविजनल अथवा म्युनिसिपल)।
- ii. निबंधन कागजात/भू-अभिलेख/दानपत्र/भूमिहीन को आवंटित भूमि से संबंधित अभिलेख जिसमें स्पष्ट रूप से जाति अंकित हो तथा यह दिनांक-10.08.1950 (अनुसूचित जाति के मामले में), दिनांक-06.09.1950 (अनुसूचित जनजाति के मामले में), दिनांक -10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के मामले में) तथा दिनांक-08.09.1993 (अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में) के पूर्व का हो।
- iii. स्थानीय जाँच प्रतिवेदन कंडिका- 13 के अनुसार (उपर्युक्त कंडिका में उल्लिखित भू-अभिलेख नहीं होने पर)

(ङ) पहचान पत्र हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को संलग्न करना अनिवार्य होगा :-

- i. मैट्रिकुलेशन का प्रवेश पत्र।
- ii. मतदाता पहचान-पत्र।
- iii. पैन कार्ड।
- iv. आधार कार्ड।
- v. नियोजक द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पहचान-पत्र (सिर्फ सरकारी कर्मचारी के मामले में)।
- vi. पासपोर्ट।
- vii. ड्राइविंग लाइसेंस।
- viii. फोटोयुक्त पेंशन पेमेन्ट ऑर्डर (PPO)
- ix. मनरेगा जाँच कार्ड
- x. आयुष्मान भारत योजना के तहत निर्गत हेल्थ इश्योरेंस कार्ड
- xi. फोटोयुक्त बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक

(च) संलग्न विहित प्रपत्रों की सूची के अनुसार प्रमाण-पत्र विशेष हेतु निदेशित स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7. जाति प्रमाण-पत्र जाँचोपरांत अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे। राजस्व अभिलेख की जाँच अंचल कार्यालय द्वारा की जायेगी। यदि किसी आवेदक का राजस्व अभिलेख ऐसे जिला में है जहाँ अब वह साधारणतः आवासित नहीं है, तो ऐसे मामले में मूल राजस्व अभिलेख से सम्बन्धित अंचल कार्यालय के द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा तथा सम्बन्धित जाति प्रमाण पत्र में साधारणतः निवास करने सम्बन्धी कंडिका का विवरण वही होगा जो आवेदक के द्वारा स्वघोषणा पत्र के माध्यम से समर्पित होगा। उदाहरणस्वरूप - यदि आवेदक 'मोहन' का मूल राजस्व अभिलेख राँची जिला के सिल्ली अंचल अन्तर्गत संधारित है एवं आवेदक 'मोहन' हजारीबाग में साधारणतः निवास करता है तो आवेदक 'मोहन' का जाति प्रमाण पत्र सिल्ली अंचल से निर्गत होगा एवं जाति प्रमाण पत्र के साधारणतः निवास करने सम्बन्धी कंडिका में स्थान विशेष का नाम हजारीबाग होगा। यह आवेदक 'मोहन' की स्वघोषणा पत्र पर आधारित होगा।

8. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र की वैधता स्थायी होगी।

- 8.1 झारखण्ड सरकार में नियोजन/तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला में आरक्षण के लाभ के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के आवेदक को क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 8.2 झारखण्ड राज्य में नियोजन/तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की वैधता अगले आदेश तक के लिए होगी, किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (संलग्न फार्म संख्या-15) संलग्न करने पर ही विगत वित्तीय वर्ष अथवा उसके पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य किये जायेंगे।
- 8.3 कुछ प्रयोजनों के लिए क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होकर मात्र अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के जाति प्रमाण पत्र की ही आवश्यकता हो सकती है जिसका क्रीमीलेयर में होने अथवा नहीं होने से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। ऐसे प्रयोजनों को ध्यान में रखकर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के जाति प्रमाण पत्र संलग्न फार्म संख्या-6 में निर्गत किये जायेंगे।

झारखण्ड राज्य के अंतर्गत नियुक्तियों में अथवा उच्च शिक्षा के निमित्त तकनीकी/गैरतकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिये आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (फार्म संख्या-11) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- 8.4 केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०) के प्रमाण पत्र हेतु कंडिका-6 (घ) संबंधी भू-अभिलेख जिसमें आवेदक की जाति अंकित हो, के साथ कंडिका-18.5 के अनुरूप आवेदक आवेदन समर्पित कर सकता है। अर्थात् केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ० बी० सी०) के प्रमाण हेतु जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना अनिवार्य नहीं है। केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ० बी० सी०) के प्रमाण पत्र की वैधता भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रावधान के अनुरूप होगी।
9. क्रीमीलेयर के संबंध में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के OM No. 36033/5/2004-Estd.(Stc) Dt. 14/10/2004 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु वार्षिक आय की गणना करने के क्रम में आवेदक/आवेदिका के माता/पिता के वेतन से आय एवं कृषि से आय को शामिल नहीं किया जायेगा। केन्द्र सरकार के इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
- 9.1 क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र बार-बार निर्गत नहीं किए जाएँगे। पूर्व निर्गत प्रमाण पत्र की स्थिति में क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी स्व-घोषणा पत्र फार्म संख्या-15 में आवेदक/आवेदिका द्वारा दिया जायेगा, जो मान्य होगा।
10. आव्रजित श्रेणी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के जाति प्रमाण पत्र हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- B.C12025/02/76. एस0सी0टी0 दिनांक-22.03.1977 एवं

पत्रांक—B.C.-16014/182-S.C and B.C.D.I, दिनांक—22.02.1985 तथा कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक—F.No. 12011/11/94 -BCC (C) दिनांक—08.04. 1994 प्रासंगिक है, जिसके अनुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु किसी व्यक्ति के किसी स्थान विशेष का होना महत्व रखता है। शिक्षा ग्रहण करने, आजीविका प्राप्त करने अथवा अन्य उद्देश्य से कई व्यक्ति दूसरे राज्य से आकर बस जाते हैं, ऐसे लोग आब्रजित श्रेणी (Migrated) में आते हैं, और इन्हें अनुमान्य आरक्षण की सुविधा उनके मूल राज्य में ही उपलब्ध होगी। झारखण्ड में आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। इसी प्रकार यदि कोई महिला विवाह के आधार पर किसी अन्य राज्य से झारखण्ड में आब्रजित होती है तो ऐसी महिला को अनुमान्य आरक्षण की सुविधा उनके मूल राज्य में ही उपलब्ध होगी।

ऐसे आब्रजित श्रेणी के व्यक्तियों को आब्रजित श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र उनके पिता को मूल राज्य से सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्रपत्र में ऑनलाईन निर्गत किया जा सकता है, जिसमें उनके मूल राज्य का नाम अंकित होगा। अन्य राज्य से आये ऐसे लोगों को झारखण्ड राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

किसी अन्य राज्य से आब्रजित व्यक्ति के सम्बन्ध में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाय कि सम्बन्धित व्यक्ति के पिता को निर्गत जाति प्रमाण पत्र, उनके मूल राज्य में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया गया हो एवं सत्यापित हो। आवेदक इस निमित्त मूल राज्य से निर्गत अपने पिता के जाति प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ संबंधित अंचल अधिकारी के समक्ष ऑनलाईन समर्पित करेंगे। अंचल अधिकारी आवेदक के पिता के मूल राज्य के सक्षम पदाधिकारी को पत्र भेजकर निर्गत जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन करायेंगे तथा सत्यापन प्रतिवेदन की मूल प्रति अपने कार्यालय में संधारित करेंगे तथा इसे ऑनलाईन अपलोड करायेंगे।

- 10.1 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आब्रजित श्रेणी के जाति प्रमाण पत्र की वैधता स्थायी होगी।
- 10.2 केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी0सी0) के आब्रजित श्रेणी के प्रमाण पत्र की वैधता केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेश के अनुसार यथाविहित अवधि के लिए होगी।
11. जाति प्रमाण पत्र आवेदक के पिता की जाति के आधार पर निर्गत किया जायेगा।
12. क्रीमीलेयर का निर्धारण आवेदक के पिता एवं माता के स्टेटस/आय के आधार पर किया जायेगा। इसलिए क्रीमीलेयर निर्धारण करते वक्त आवेदक या उसके पति/पत्नी के स्टेटस या आय को ध्यान में नहीं रखा जायेगा। क्रीमीलेयर के संबंध में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के OM No. 36033/5/2004-Estd.(Stc) Dt. 14/10/2004 द्वारा विस्तृत स्पष्टीकरण निर्गत किये गये हैं। केन्द्र सरकार के द्वारा केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में समय-समय पर निर्गत अनुदेश झारखण्ड राज्य में प्रभावी होंगे, जिसका अनुपालन कर क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का निष्पादन किया जा सकेगा।

13. झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा से आच्छादित कोई व्यक्ति इस राज्य में स्वतः आरक्षण की सुविधा पाने के लिए अधिकृत नहीं है। उपर्युक्त कंडिका-6 (घ) में उल्लिखित भू-अभिलेख/रेकॉर्ड ऑफ राइट्स/भूमि निबंधन कागजात, जिस अभिलेख के आधार पर जाति का निर्धारण प्रायः किया जाता है, के नहीं होने की स्थिति/संशय की स्थिति में अथवा आवेदक के भूमिहीन होने की स्थिति में स्थानीय जाँच की निम्न प्रक्रिया अपना कर जाति का निर्धारण करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है:-

- (i) स्थानीय जाँच हेतु आवेदक को अपनी जाति विशेष के संबंध में नोटरी के माध्यम से शपथ पत्र के साथ अंचल अधिकारी के समक्ष आवेदन समर्पित करना होगा।
- (ii) अंचल अधिकारी ऐसे आवेदन का अभिलेख खोलकर आवेदक के दावा के संबंध में 15 दिनों का नोटिस निर्गत करेंगे तथा इसे कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित करेंगे।
- (iii) अंचल अधिकारी, आवेदक के जाति विशेष के दावा के संबंध में अंचल निरीक्षक से स्थल जाँच कराकर, प्रकाशित नोटिस के संबंध में प्राप्त आपत्ति तथा अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन को संबंधित मुखिया/वार्ड पार्षद को ग्राम सभा (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)/वार्ड समिति (नगर निकाय क्षेत्र के लिए) का मंतव्य प्राप्त करने हेतु भेजेंगे।

वार्ड समिति/ग्राम सभा आवेदक/उनके पूर्वज की जाति के सूचीकरण की तिथि से उक्त क्षेत्र में लगातार निवास करने या आवासन एवं उनके जाति के सम्बन्ध में आवेदक के पिता/पूर्वज के सम्बन्ध में कंडिका-6 (क) से (ड) (घ को छोड़कर) में वर्णित कागजात इत्यादि की जाँच कर सुस्पष्ट प्रतिवेदन मंतव्य के साथ वार्ड पार्षद/मुखिया को उपलब्ध करायेंगे (चेक लिस्ट संलग्न- देखें प्रपत्र-XIV)।

- (iv) वार्ड पार्षद/मुखिया क्रमशः वार्ड समिति/ग्राम सभा की राय प्राप्त कर सम्बन्धित व्यक्ति की जाति का स्पष्ट उल्लेख कर प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यपालक पदाधिकारी नगर निकाय/अंचल अधिकारी को भेज देंगे।
- (v) निकाय क्षेत्र के आवेदकों के मामले में कार्यपालक पदाधिकारी सम्यक् जाँचोपरान्त अपनी संतुष्टि के आधार पर मन्तव्य अंचल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
- (vi) अंचल अधिकारी निकाय क्षेत्र के मामले जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा स्पष्ट रूप से जाति निर्धारित कर प्रतिवेदन भेजा गया है, जाति के सम्बन्ध में पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् अभिलेख पर युक्तियुक्त आदेश पारित करेंगे तथा दावा सही पाये जाने की स्थिति में स्थानीय जाँच प्रतिवेदन निर्गत करेंगे।
- (vii) ग्रामीण क्षेत्र के मामले में अंचल अधिकारी ग्राम सभा से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसमें स्पष्ट रूप से जाति निर्धारित कर प्रतिवेदन भेजा गया हो, जाति के सम्बन्ध में पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् अभिलेख पर युक्तियुक्त आदेश पारित करेंगे तथा दावा सही पाये जाने की स्थिति में स्थानीय जाँच प्रतिवेदन निर्गत करेंगे।

आवेदन के साथ दायर शपथ पत्र में आवेदक को यह अंकित करना अनिवार्य होगा कि भविष्य में आवेदक को निर्गत प्रमाण पत्र गलत पाये जाने की स्थिति में इसे आवेदक के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति/पिछड़ा वर्ग को संविधान प्रदत्त अधिकार/सुविधा को हरण करने का कपटपूर्ण कार्य समझा जाएगा तथा इसके लिए उनके विरुद्ध आपराधिक षडयन्त्र का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी तथा उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त नियोजन अथवा आरक्षण के अन्य लाभ से उन्हें वंचित किया जा सकेगा।

14. उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार निर्गत जाति प्रमाण पत्र यदि कालान्तर में गलत पाया जाता है, तो गलत जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया से सम्बद्ध अधिकारी/कर्मचारी/ जनप्रतिनिधि जिनके द्वारा जानबूझ कर गलत जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में सहयोग किया गया है, उनके विरुद्ध जांचोपरान्त आपराधिक षडयन्त्र का मामला दर्ज करने की कार्रवाई की जा सकती है।
15. कतिपय मामले में खतियान एवं निबंधन कागजात में व्यक्ति की जाति हिन्दू, मुस्लिम, मारवाड़ी, क्रिस्तान आदि अंकित पाये गये हैं तथा ऐसे व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की किसी विशेष जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन समर्पित करते हैं, तो ऐसे सभी मामलों में कंडिका-13 में उल्लिखित जाँच प्रक्रिया के अनुसार जाति निर्धारण कर प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।
16. विस्थापित व्यक्तियों के मामले में उनके खतियान में अंकित जाति का प्रमाण पत्र खतियान से संबंधित अंचल कार्यालय के द्वारा निर्गत किया जायेगा। परन्तु ऐसे मामले में आवेदक को भू-अभिलेख/भूमि अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज/पुनर्वास प्रमाण पत्र तथा उनको पुनर्वासित स्थान अथवा आवेदित पते पर साधारणतः निवासित होने संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
17. जाति प्रमाण पत्र में जाति का नाम उसी रूप में अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिस रूप में जाति की सम्बद्ध सूची में नाम अंकित है, इसकी वर्तनी (Spelling) में परिवर्तन भी अनुमान्य नहीं है।
18. विभिन्न श्रेणी के जाति प्रमाण पत्रों को निर्गत करने हेतु इस अनुदेश के साथ विहित आवेदन प्रपत्र, स्वघोषणा पत्र का प्रपत्र एवं मानक प्रमाण पत्र का प्रपत्र परिचारित किये जा रहे हैं। विभिन्न श्रेणी के प्रमाण पत्रों के आवेदन हेतु संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की मानक सूची निम्नवत् है :-

क्र०	प्रमाण पत्र की श्रेणी	आवश्यक कागजात एवं प्रपत्र की विवरणी
18.1	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र (केन्द्र प्रयोजनार्थ एवं राज्य प्रयोजनार्थ) प्रपत्र-IV एवं V	1. आवेदन विहित प्रपत्र-1A 2. आवेदक का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-II 2A. आवेदक के पिता/माता का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-III (आवेदक के अवयस्क होने की दशा में) 3. जाति से संबंधित अभिलेख (देखें कंडिका- 6 (घ)) 3.A जाति से संबंधित अभिलेख नहीं होने पर स्थानीय जाँच प्रतिवेदन (देखें कंडिका-13) 4. नागरिकता की पुष्टि हेतु कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका- 6 (क))



		5. स्थायी तौर पर निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका- 6 (ख))
		6. साधारणतः निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका- 6 (ग))
		7. आवेदक के पहचान पत्र का कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका - 6 (ड))
18.2	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का प्रपत्र (आव्रजित श्रेणी के आवेदकों हेतु) प्रपत्र- XII	1. आवेदन विहित प्रपत्र-1(A) 2. आवेदक के जाति के संबंध में स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-II 3. आवेदक के पिता/माता का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-III (आवेदक के अवयस्क होने की दशा में) 4. आवेदक के पिता को उनके मूल राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र (देखें कंडिका-10) 5. साधारणतः निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका- 6 (ग)) 6. आवेदक के पहचान पत्र का कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका - 6 (ड))
18.3	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) जाति प्रमाण पत्र प्रपत्र- VI झारखण्ड राज्य में नियोजन एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के दावा को छोड़कर अन्य प्रयोजनार्थ	1. आवेदन विहित प्रपत्र-1 (B) 2. आवेदक का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-II 2A. आवेदक के पिता/माता का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-III (आवेदक के अवयस्क होने की दशा में) 3. जाति से संबंधित अभिलेख (देखें कंडिका- 6 (घ)) 4. नागरिकता की पुष्टि हेतु कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका - 6 (क)) 5. स्थायी तौर पर निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका- 6 (ख)) 6. साधारणतः निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका- 6 (ग)) 7. आवेदक के पहचान पत्र का कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका - 6 (ड))
18.4	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) जाति प्रमाण पत्र (क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ) प्रपत्र- XI झारखण्ड राज्य में नियोजन एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रयोजनार्थ	1. आवेदन विहित प्रपत्र-VII 2. आवेदक का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-VIII 2A. आवेदक के पिता/माता का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-IX (आवेदक के अवयस्क होने की दशा में) 3. जाति से संबंधित अभिलेख (देखें कंडिका-6 घ) 3.A जाति से संबंधित अभिलेख नहीं होने पर स्थानीय जाँच प्रतिवेदन (देखें कंडिका-13) 4. नागरिकता की पुष्टि हेतु कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका- 6 क) 5. स्थायी तौर पर निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका 6-ख) 6. साधारणतः निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका- 6 ग) 7. आवेदक के पहचान पत्र का कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका- 6 ड)
18.5	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ० बी० सी०) प्रपत्र- X	1. आवेदन विहित प्रपत्र-VII 2. आवेदक का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-VIII 2A. आवेदक के पिता/माता का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-IX

	केन्द्रीय सेवाओं एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रयोजनार्थ	(आवेदक के अवयस्क होने की दशा में) 3. जाति से संबंधित अभिलेख (देखें उपर्युक्त कंडिका- 6 (घ) अथवा वैकल्पिक तौर पर उपर्युक्त प्रक्रिया के तहत पूर्व में निर्गत जाति प्रमाण पत्र 4. नागरिकता की पुष्टि हेतु कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका- 6 क) 5. स्थायी तौर पर निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका- 6 ख) 6. साधारणतः निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका- 6 ग) 7. आवेदक के पहचान पत्र का कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका- 6 ड)
18.6	आव्रजित श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र हेतु (क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ) प्रपत्र- XIII	1. आवेदन विहित प्रपत्र-VII 2. आवेदक की जाति के संबंध में स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-VIII 3. आवेदक के पिता/माता का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र-IX (आवेदक के अवयस्क होने की दशा में) 4. आवेदक के पिता को उनके मूल राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र (देखें कंडिका 10) 5. साधारणतः निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका- 6 ग) 6. आवेदक के पहचान पत्र का कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका- 6 ड)

19. राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति के द्वारा यदि किसी जाति प्रमाण पत्र की वैधता के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/आदेश पारित किया जाता है तो सम्बन्धित अंचल अधिकारी ऐसे जाति प्रमाण पत्र को रद्द/निरस्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी उच्चाधिकारियों/सम्बन्धित प्रमाण पत्र धारक को देंगे। साथ ही सूचना पट्ट एवं समाचार पत्र के माध्यम से इसकी सूचना प्रकाशित करेंगे।
- 19.1 सम्बन्धित अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि सम्बन्धित रद्द/निरस्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उनके कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तो उसे भी रद्द/निरस्त कर दिया जाय।
20. जाति प्रमाण पत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र निर्गत करने संबंधी राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र/आदेश/संकल्प आदि के असंगत अंश विलोपित किए जाते हैं।
21. विभिन्न प्रमाण पत्रों/आवेदन पत्रों/स्व-घोषणा पत्रों के विहित प्रपत्र संलग्न हैं।
22. नयी व्यवस्था झारसेवा सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्द्धन के उपरान्त 01 मार्च, 2019 के प्रभाव से लागू होगी।
- अनुलग्नक-विहित प्रपत्रों की सूची।

विश्वसभाजन

*Swain*  
25/2/19  
(के०के० खण्डेलवाल)  
अपर मुख्य सचिव।

## विहित प्रपत्रों की सूची

क्रमांक	विषय वस्तु	फॉर्म संख्या	पृष्ठ संख्या
1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का प्रपत्र	प्रपत्र - I (A)	
2	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का प्रपत्र	प्रपत्र - I (B)	
3	आवेदक के द्वारा स्वयं के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) प्रमाण पत्र हेतु घोषणा पत्र	प्रपत्र - II	
4	आवेदक के पिता/माता के द्वारा अपनी संतान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) प्रमाण पत्र हेतु घोषणा पत्र (आवेदक के अवयस्क होने की दशा में)	प्रपत्र - III	
5	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र (झारखण्ड सरकार के प्रयोजनार्थ)	प्रपत्र - IV	
6	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र (भारत सरकार के प्रयोजनार्थ)	प्रपत्र - V	
7	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र (झारखण्ड सरकार के प्रयोजनार्थ)	प्रपत्र - VI	
8	ओ० बी० सी०/बी० सी०-I एवं बी०सी०-II (क्रीमीलेयर रहित) प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का प्रपत्र	प्रपत्र - VII	
9	आवेदक के द्वारा स्वयं के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के जाति प्रमाण पत्र निमित्त क्रीमीलेयर हेतु घोषणा पत्र	प्रपत्र - VIII	
10	आवेदक के पिता/माता के द्वारा संतान के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के जाति प्रमाण पत्र निमित्त क्रीमीलेयर हेतु घोषणा पत्र	प्रपत्र - IX	
11	अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र (भारत सरकार के प्रयोजनार्थ)	प्रपत्र - X	

12	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र (क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)	प्रपत्र -XI	
13	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र (आव्रजित श्रेणी के आवेदकों हेतु)	प्रपत्र -XII	
14	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र (आव्रजित श्रेणी के आवेदकों हेतु)	प्रपत्र -XIII	
15	ग्राम सभा/वार्ड समिति के द्वारा जाति निर्धारण हेतु चेक लिस्ट	प्रपत्र -XIV	
16	क्रीमीलेयर रहित होने संबंधी स्व-घोषणा पत्र	प्रपत्र -XV	

आवेदन का प्रपत्र

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र हेतु)

1	आवेदक/आवेदिका का नाम :-					
2	आधार संख्या (यदि हो तो) :-					
3	मोबाईल नं० (यदि हो तो) :-					
4	जन्म तिथि :-	5	लिंग	पुरुष( )	महिला ( )	ट्रांसजेंडर ( )
6	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उल्लेख करें) :-		7. उपजाति :-			
8	धर्म :-					
9	आवासीय पता :-					
(क)	स्थायी पता :- गाँव/मुहल्ला _____ थाना _____ राज्य _____		प्रखण्ड _____ जिला _____	डाकघर _____ पिन _____		
(ख)	वर्तमान पता :- गाँव/मुहल्ला _____ थाना _____ राज्य _____		प्रखण्ड _____ जिला _____	डाकघर _____ पिन _____		
10	पिता का नाम :-					
11	पिता की जाति :-					
12	माता का नाम :-					
13	पति का नाम :-					
14	पति की जाति :-					
15	केन्द्र की सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या (केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र हेतु)			क्रमांक-..... संकल्प सं०-.....		
16	झारखण्ड राज्य की सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या (राज्य सरकार के प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र हेतु)			क्रमांक-..... संकल्प सं०-.....		
17	आव्रजित श्रेणी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के मामले में मूल राज्य की सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या			क्रमांक-..... संकल्प सं०-.....		
18	आव्रजित श्रेणी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के मामले में पैतृक राज्य के द्वारा पिता को निर्गत प्रमाण पत्र संख्या :- प्रमाण पत्र निर्गत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम :-					

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

पिता/माता का हस्ताक्षर  
(पिता/माता का नाम :- \_\_\_\_\_)  
(आवेदक के अवयस्क रहने की स्थिति में)

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

नोट :-

1. आवेदक की जाति वही मानी जाएगी जो उसके पिता की जाति है।
2. आवेदक के अवयस्क होने की दशा में आवेदन उनके माता/पिता के द्वारा समर्पित किया जा सकेगा।
3. इस प्रपत्र का प्रयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के प्रमाण पत्र हेतु किया जा सकेगा।